न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 05 / 2019

राजस्थान सरकार अब्दुक सादिक, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

.......प्रार्थी

बनाम

बब्बू स्टॉव रिपेयर शॉप, मोती कटला दरवाजे पर, अजमेर जरिये मुन्ना शेख पुत्र श्री नौशाद, निवासी– लौंगिया, पानी की टंकी के पास, अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 19.03.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर गैस स्टोव रिपेयरिंग का कार्य करना पाया गया। दुकान पर 04 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर पाये गये जिनके बाबत अप्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। 04 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	2.5 kg	2.00 kg	अप्रमाणित सिलेण्डर
2	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	1.5 kg	1.00 kg	अप्रमाणित सिलेण्डर
3.	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	1.5 kg	1.00 kg	अप्रमाणित सिलेण्डर
4.	अंकित नही	अंकित नही	500 gm	500gm	NIL	अप्रमाणित सिलेण्डर

का अवैध रूप से व्यवसाय करना पाया गया। अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल से उपरोक्त 04 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को कब्जेराज लिया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लंघन है। अतः 04 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर ख्वाजा गैस ऐजेन्सी के कार्मिक श्री शेखर कोतवाल

(मुहर: न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर)

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी कंचन नगर दौराई, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 04 अप्रमाणित छोट गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हे एक पक्षीय सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.02.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी/स्टॉव रिपेयर शॉप मालिक द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर अप्रमाणित सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। अप्रमाणित सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 6 का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 04 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। उनके द्वारा जरिये जवाब/साक्ष्य, सबूत के प्रार्थना पत्र तथ्यों का खण्डन भी नहीं किया गया है। वक्त जांच अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर अप्रमाणित गैस सिलेण्डर का अवेध रूप से भण्डारण तथा व्यवसाय किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 04 अप्रमाणित छोटे गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner